

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई, 2023 सत्र
दैनिक कार्य सूची
मंगलवार, दिनांक 11 जुलाई, 2023 (आषाढ 20, 1945)
समय 11.00 बजे दिन.

1. निधन का उल्लेख.

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) **श्री मधुकर हर्षे**, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (2) **श्री रमेश शर्मा (गुदरू भैया)**, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (3) **श्री प्रकाश सिंह बादल**, पूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (4) **श्री रतन लाल कटारिया**, पूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (5) **श्रीमती निर्मला बुच**, पूर्व मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
- (6) दिनांक 30 मार्च, 2023 को इन्दौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बावड़ी की छत धसने से मृत श्रद्धालु,
- (7) दिनांक 9 मई, 2023 को खरगौन जिले के डोंगरगांव में बोराड़ नदी पुल से यात्री बस के नीचे गिरने से मृत यात्री, तथा
- (8) दिनांक 2 जून, 2023 को ओड़िसा के बालासोर जिले के बहानागा रेलवे स्टेशन के पास हुए भीषण रेल हादसे में हुई जन-हानि.

2. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **डॉ. (कुंवर) विजय शाह, वन मंत्री**, जैवविविधता अधिनियम, 2002 के अधीन बनाये गये मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 की कंडिका 21 (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(2) **श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, श्रम मंत्री**, भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (क्रमांक 27 सन् 1996) की धारा 27 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखेंगे.

(3) **श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री**, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) (च) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(4) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री**, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) शहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड का 16 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022, एवं

(ख) बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड का 11 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022

पटल पर रखेंगे.

(5) **डॉ.मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री**, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 65 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(6) **श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री**, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020, एवं

(ख) मध्यप्रदेश प्लास्टिक सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन ग्वालियर, लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा पटल पर रखेंगे.

(7) **श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास**, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) के अधीन बनाये गये मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2007 की कंडिका 20 (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(8) **श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा**, भारत सरकार की गाइडलाइन्स के बिन्दु क्रमांक-2 के उप बिन्दु (7) की अपेक्षानुसार समग्र शिक्षा अभियान मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

4. फरवरी-मार्च, 2023 सत्र की स्थगित बैठक दिनांक 27 मार्च, 2023 की प्रश्नोत्तर सूची तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-13 पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2023 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य**, भिण्ड जिले में सरसों खरीदी में अनियमितता की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य**, नरयावली में स्वीकृत महाविद्यालय भवन का निविदा के बाद निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) **सर्वश्री पी.सी. शर्मा, ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य**, रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन लेट होने से प्री नर्सिंग परीक्षा में परीक्षार्थियों के परीक्षा देने से वंचित होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) **श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सदस्य**, रतलाम नगर निगम द्वारा पंजीयन शुल्क के साथ अतिरिक्त शुल्क की वसूली की राशि नगर निगम को न दिये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 182-बड़वाह से निर्वाचित सदस्य, श्री सचिन बिरला को विधान सभा के जुलाई, 2023 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

9. सभापति तालिका की घोषणा.

10. प्रतिवेदन की प्रस्तुति.

श्री बहादुर सिंह चौहान, सभापति, कृषि विकास समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

11. वक्तव्य.

श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, दिनांक 27 मार्च, 2023 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्रमांक 3010) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

12. शासकीय विधि विषयक कार्य.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, गृह मंत्री, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 10 जुलाई, 2023.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.